न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 171/2021

अनिता कुमारी पत्नि उम्मेद सिंह, निवासी ग्राम हनुमतपुरा, पोस्ट नरहड, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान पिन कोड 333035, मो0न0 8696896210

—— प्रार्थिया

बनाम

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं (राज0)
2. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, पिलानी, जिला झुंझुनूं (राज0)
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खेडला, पंचायत समिति पिलानी, जिला झुंझुनूं (राज0)
4. सरोज कंवर पत्नि तेजपाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी वार्ड नं0 3, ग्राम खेडला, पंचायत समिति पिलानी, जिला झुंझुनूं (राज0)

—— अप्रार्थीगण

विज्ञप्ति संख्या 01 दिनांक 06.07.2021 के नियमानुसार आंगनबाडी हनुमतपुरा कार्यकर्ता पद पर अयोग्य उम्मदीउवार का चयन रोकेने बाबत।

1. अनिता कुमारी — स्वयं उपस्थित
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं— स्वयं उपस्थित
3. सरोज कंवर— स्वयं उपस्थित

निर्णय दिनांक :—20.09.2021

आदेश

प्रार्थिया अनिता कुमारी पत्नि उम्मेद सिंह, निवासी ग्राम हनुमतपुरा, पोस्ट नरहड, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, राजस्थान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हनुमतपुरा ग्राम पंचायत खेडला, पंचायत समिति पिलानी, तहसील सूरजगढ, पोस्ट नरहड जिला झुंझुनूं राजस्थान मे ग्राम हनुमतपुरा मे आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद हेतु विज्ञप्ति 06.07.2021 को जारी की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.07.2021 थी। विज्ञप्ति के नियमानुसार विज्ञप्ति के नियम कमांक 7 के अनुसार जिन आंगनबाडी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों मे जनसंख्या का 500 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/ अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यत किया जावेगा। कवरेज क्षेत्र मे जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जावेगी। यदि ऐसे आंगनबाडी केन्द्रों के संबंध मे प्रचार प्रसार के बावजूद उक्त श्रेणी का एक भी आवेदन प्राप्त नही होता है तो ऐसी स्थिति मे अन्य श्रेणी के आवेदनों मे से चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर पात्र अभ्यर्थी का चयन कर

लिया जावेगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता पद पर पांच से अधिक आवेन पत्र भरे गये। आंगनबाडी भर्ती नियम के अनुसार आवेदक महिला आंगनबाडी केन्द्र जहां स्थित है आवेदक महिला भी उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए तथा जिस महिला का घर आंगनबाडी के सबसे नजदीक हो उस महिला को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन ग्राम हनुमतपुरा आंगनबाडी कार्यकर्ता पद पर जिस महिला का चयन किया गया है। उस महिला का नाम सरोज कंवर पति का नाम तेजपाल सिंह है। सरोज कंवर सामान्य श्रेणी मे राजपूत जाति से है तथा आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नं0 3 मे ही स्थित है। जबकि सरोज कंवर वार्ड नं0 1 की ही निवासी है। सरोज कवंर ग्राम पंचायत खेडला वार्ड नं0 1 वोटर क्रमांक 45 पर स्थित है तथा मकान संख्या 16 है। वोटर कार्ड नं0 ZRE0730317 है। हनुमतपुरा ग्राम की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की है। इसलिए आवेदक महिला का चयन भी अनुसूचित जाति की महिला का ही होना चाहिए। सरोज कंवर का चयन नियम के विरूद्व किया गया है। इसका प्रमाण आवेदन पत्र के साथ ही है। दूसरी आवेदक महिला अनिता कुमारी है जो आंगनबाडी केन्द्र जहां स्थित वह वार्ड नं0 3 ही है तथा अनिता कुमारी भी वार्ड नं0 3 की ही स्थानीय निवासी है और आंगनबाडी केन्द्र से घर की दूरी भी मात्र 300 फीट है। अनिता कुमारी की श्रेणी अनुसूचित जाति की है तथा ग्राम की जनसंख्या भी 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की है। यदि आंगनबाडी विज्ञप्ति के अनुसार योग्य महिला का चयन किया जायेगा तो अनिता कुमारी पति का नाम उम्मेद सिंह का चयन हो जायेगा। क्योंकि अनिता कुमारी का घर आंगनबाडी से मात्र 300 फीट दूर है। अनिता कुमारी आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नं0 3 की स्थानीय निवासी है तथा अनिता कुमारी अनुसूचित जाति की है। इसलिए श्रीमान् निदेशक महोदय से विनती करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी एवं विज्ञप्ति नियमों को ध्यान मे रखते हुए मामले की जांच करवायें तथा विज्ञप्ति के नियमों के अनुसार ही योग्य महिला का दुबारा से चयन करवायें। यदि फिर भी नियमों की अनदेखी की जायेगी तो ये मामला उच्च स्तरीय अधिकारियों एवं उच्च विभागों तक पहुंच जायेगा। इसलिए श्रीमान् निदेशक महोदय उक्त मामले की जांच करवाये तथा फिर से आंगनबाडी भर्ती विज्ञप्ति के अनुसार दुबारा योग्य एवं पात्र महिला का चयन करवायें।

प्रार्थिया गायत्री सैनी, अप्रार्थिया मूली कुमारी एवं विभागीय प्रतिनिधि सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि ग्राम हनुमतपुरा ग्राम पंचायत खेडला, पंचायत समिति पिलानी, तहसील सूरजगढ, पोस्ट नरहड जिला झुंझुनूं राजस्थान मे ग्राम हनुमतपुरा मे आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद हेतु विज्ञप्ति 06.07.2021 को जारी की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 26.07.2021 थी। विज्ञप्ति के नियमानुसार विज्ञप्ति के नियम क्रमांक 7 के अनुसार जिन आंगनबाडी केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों मे जनसंख्या का 500 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जन जाति/ अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उन केन्द्रों के चयन हेतु उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्यत किया जावेगा। कवरेज क्षेत्र मे जनसंख्या की गणना मुख्यतया आंगनबाडी सर्वे रजिस्टर के आधार पर ही की जावेगी। यदि ऐसे आंगनबाडी केन्द्रों के संबंध मे प्रचार प्रसार के बावजूद उक्त श्रेणी का एक भी आवेदन प्राप्त नही होता है तो ऐसी स्थिति मे अन्य श्रेणी के आवेदनों मे से चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर पात्र अभ्यर्थी का

चयन कर लिया जावेगा। आंगनबाडी कार्यकर्ता पद पर पांच से अधिक आवेन पत्र भरे गये। आंगनबाडी भर्ती नियम के अनुसार आवेदक महिला आंगनबाडी केन्द्र जहां स्थित है आवेदक महिला भी उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए तथा जिस महिला का घर आंगनबाडी के सबसे नजदीक हो उस महिला को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन ग्राम हनुमतपुरा आंगनबाडी कार्यकर्ता पद पर जिस महिला सरोज कंवर पत्नि तेजपाल सिंह का चयन किया गया है वह सामान्य श्रेणी मे राजपूत जाति से है तथा आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नं0 3 मे ही स्थित है। जबकि सरोज कंवर वार्ड नं0 1 की ही निवासी है। हनुमतपुरा ग्राम की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की है। इसलिए आवेदक महिला का चयन भी अनुसूचित जाति की महिला का ही होना चाहिए। सरोज कंवर का चयन नियम के विरूद्व किया गया है। प्रार्थिया अनिता कुमारी है जो आंगनबाडी केन्द्र जहां स्थित वह वार्ड नं0 3 ही है तथा अनिता कुमारी भी वार्ड नं0 3 की ही स्थानीय निवासी है और आंगनबाडी केन्द्र से घर की दूरी भी मात्र 300 फीट है। अनिता कुमारी की श्रेणी अनुसूचित जाति की है तथा ग्राम की जनसंख्या भी 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की है। यदि आंगनबाडी विज्ञप्ति के अनुसार योग्य महिला का चयन किया जायेगा तो अनिता कुमारी पति का नाम उम्मेद सिंह का चयन हो जायेगा। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना स्वीकार कर प्रार्थिया का ग्राम हनुमतपुरा स्थित आंगनबाडी केन्द्र मे कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रकरण मे बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरजगढ से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार राजस्व ग्राम हनुमतपुरा की कुल जनसंख्या 1957 है जिसमे से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1516 है जो कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरजगढ द्वारा उप निदेशक कार्यालय झुंझुनूं को रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी करवाने बाबत भिजवाई सूचना मे लिपिकीय त्रुटिवंश आरक्षित वर्ग को नही दर्शाया गया था जिसके कारण इस कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति मे आंगनबाडी केन्द्र हनुमतपुरा पर कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन हेतु आरक्षित वर्ग का उल्लेख नही किया जा सका। पूर्व मे उक्त प्रकृति के प्रकरण मे निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा पत्रांक एफ 11 (3) मो0/मान0कर्मियों के चयन/आईसीडीएस/पार्ट 2/2021/50259 दिनांक 22.03.2021 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि जारी विज्ञप्ति जिसमे आरक्षित वर्ग का उल्लेख नही है जबकि वे केन्द्र अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र है अतः ऐसे केन्द्रों की भर्ती विज्ञप्ति को निरस्त कर पुनः नियमानुसार इन केन्दों के रिक्त पदों पर मानदेय कर्मियों की चयन संबंधी विज्ञप्ति जारी करे। इस कार्यालय के पत्रांक 1550 दिनांक 10.09.2021 द्वारा विज्ञप्ति संख्या 01/2021–22 मे आंगनबाडी केन्द्र हनुमतपुरा मे कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु जारी विज्ञप्ति को निरस्त कर इस संबंध मे अब तक की गई चयन प्रकिया को निरस्त कर बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरजगढ को आगामी विज्ञप्ति जारी करने हेतु इस कार्यालय द्वारा रिक्त पदों की सूचना चाहे जाने पर आंगनबाडी केन्द्र हनुमतपुरा पर कार्यकर्ता के रिक्त पद सूचना आरक्षित वर्ग का उल्लेख करते हुए पदों की सूचना पुनः भिजवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अप्रार्थिया सरोज कंवर ने प्रार्थिया के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम हनुमतपुरा मे स्थित आंगनबाडी के रिक्त पद पर आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर उसका चयन नियमानुसार किया गया है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

हमने बहस प्रार्थिया, अप्रार्थिया व विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया। चूंकि सर्वे रिपोर्ट 2020 के अनुसार राजस्व ग्राम हनुमतपुरा की कुल जनसंख्या 1957 है जिसमे से अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1516 है जो कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक है। बाल विकास परियोजना अधिकारी सूरजगढ द्वारा उप निदेशक कार्यालय झुंझुनूं को रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी करवाने बाबत भिजवाई सूचना मे लिपिकीय त्रुटिवंश आरक्षित वर्ग को नही दर्शाया गया था जिसके कारण इस कार्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति मे आंगनबाडी केन्द्र हनुमतपुरा पर कार्यकर्ता के रिक्त पद पर चयन हेतु आरक्षित वर्ग का उल्लेख नही किया जा सका। उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं द्वारा पत्रांक 1550 दिनांक 10.09.2021 द्वारा विज्ञप्ति संख्या 01/2021-22 मे आंगनबाडी केन्द्र हनुमतपुरा मे कार्यकर्ता के रिक्त पद हेतु जारी विज्ञप्ति को निरस्त कर इस संबंध मे अब तक की गई चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। आंगनबाडी केन्द्र हनुमतपुरा के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन के लिए नये सिरे से आवेदन की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि नवीन विज्ञप्ति जारी कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पद के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना ग्रहण कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

20/9/2

(यू०डी०खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनू